भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3872

उत्तर देने की तारीख-24/03/2025

नीट परीक्षा, 2024 में विलंब

†3872. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2024 में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) आयोजित करने में विलंब हुआ था,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान नीट की सभी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर कदाचार और वास्तविक अभ्यर्थी की जगह अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने के मामलों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की स्थापना उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु एक विशेष निकाय के रूप में की गई है। दिनांक 9 फरवरी, 2024 की आधिकारिक अधिसूचना में प्रकाशित जानकारी के अनुसार नीट (यूजी) 2024 परीक्षा एनटीए द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 5 मई, 2024 को आयोजित की गई थी।

एनटीए वर्ष 2019 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नीट (यूजी) परीक्षा आयोजित कर रहा है। नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के आयोजन के बाद कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामले सामने आए थे। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के संबंध में साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित कथित अनियमितताओं के संबंध में सभी पहलुओं की व्यापक जांच करने हेतु आग्रह किया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 335/2024 और इससे जुड़े मामलों में दिनांक 2 अगस्त, 2024 के फैसले के पैरा 84 में कहा है कि "इसलिए, वर्तमान में पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है जो अन्य रूपों में प्रणालीगत लीक या प्रणालीगत कदाचार का संकेत देती है। वर्तमान में रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री इस आरोप की पुष्टि नहीं करती है कि व्यापक स्तर पर गड़बड़ी हुई है, जिससे परीक्षा की शुचिता से समझौता हुआ है"। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 23 जुलाई, 2024 के अनुपालन में, नीट (यूजी) 2024 परीक्षा का संशोधित परिणाम दिनांक 26 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया है।

दिनांक 22.11.2024 की स्थिति के अनुसार, सीबीआई ने नीट (यूजी) 2024 पेपर चोरी मामले में कुल 45 आरोपियों के खिलाफ पांच आरोप पत्र दायर किए हैं। पेपर चोरी/अनुचित साधनों के लाभार्थी अभ्यर्थियों के नाम तथा चोरी किए गए पेपर को हल करने वाले या किसी अन्य के रूप में परीक्षा में बैठने वाले एमबीबीएस छात्रों के नाम की पहचान पहले ही की जा चुकी है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को भेज दिए गए हैं।

*****